

प्रेस नोट



1,79,000 रु. मूल्य की भारतीय जाली मुद्रा के साथ तीन अभियुक्त यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तार

दिनांक : 26 नवम्बर , 2019

दिनांक 25.11.19 की रात्रि यू०पी० एटीएस को इटौंजा थाना क्षेत्र लखनऊ से भारतीय जाली मुद्रा (FICN) का अवैध कारोबार करने वाले दो पुरुष और एक महिला को 1,79,000 रु. मूल्य की भारतीय जाली मुद्रा के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

उ.प्र. एटीएस को विगत काफी दिनों से मालदा(पश्चिम बंगाल) और उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के बीच भारतीय जाली मुद्रा के अवैध कारोबार/परिवहन करने वाले गैंग के सम्बन्ध में अभिसूचना मिल रही थी। इस अभिसूचना को एटीएस द्वारा विकसित करने पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्त अमीनुल इस्लाम उच्च गुणवत्ता वाली भारतीय जाली मुद्रा(HIGH QUALITY FICN) को मालदा से लाकर लखनऊ/सीतापुर में डिलीवरी करने वाला है। तदनुसार UP ATS द्वारा थाना इटौंजा, लखनऊ क्षेत्र में 1.79 लाख रुपये मूल्य की भारतीय जाली मुद्रा के साथ इन तीनों को गिरफ्तार किया गया।

घटना के सम्बन्ध में मु.अ.सं. 08/19 अंतर्गत धारा- 489ए,489बी.489सी आई.पी.सी. थाना-एटीएस, जनपद-लखनऊ पर दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. अमीनुल इस्लाम उर्फ कालू पुत्र आमिर शेख ग्राम- शहबाजपुर, सधारीटोला थाना- कलियाचक, मालदा, पश्चिम बंगाल उम्र लगभग -29 वर्ष (मालदा, पश्चिम बंगाल से FICN लाकर उत्तर प्रदेश में अवैध डिलीवरी करने वाला)
2. नासीबा खातून पुत्री इनामुल हक ग्राम- शहबाजपुर, सधारीटोला थाना- कलियाचक, मालदा, पश्चिम बंगाल उम्र लगभग -19 वर्ष (अमीनुल की चचेरी बहन और इस अपराध में उसकी साथी)
3. फूलचंद पुत्र सुखलाल राठौर निवासी-फत्तेपुर थाना-मैगलगंज जिला लखीमपुर खीरी उम्र लगभग -34 वर्ष (अमिनुल से FICN प्राप्त करने वाला)

बरामदगी

1. 500 के 148 नोट 1,49,000 रुपये मूल्य की भारतीय जाली मुद्रा
2. 2,000 के 15 नोट 30,000 रुपये मूल्य की भारतीय जाली मुद्रा
3. मोबाईल- 03 अदद

प्रारंभिक पूछताछ विवरण :

- अमीनुल मालदा (पश्चिम बंगाल) से जाली भारतीय मुद्रा (FICN) लाकर उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में अवैध डिलीवरी करता है।
- नोटबंदी के बाद से यह मालदा की तरफ से आने वाला और उत्तर प्रदेश में बरामद किया हुआ High Quality का FICN का पहला बड़ा Consignment है।

अग्रिम पूछताछ के बिंदु

- जाली मुद्रा का स्रोत क्या है ?
- जाली मुद्रा को उत्तर प्रदेश अथवा उ.प्र. के बाहर कहाँ-कहाँ सप्लाई होता है ?



फूलचंद पुत्र सुखलाल राठौर



अमीनुल इस्लाम उर्फ कालू



नासीबा खातून

